

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (13).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (4-ख) तथा नियम 23-क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती हैं,—

- (एक) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप 10 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी यथास्थिति प्ररूप 5 या प्ररूप 10 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;
2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, यथास्थिति, प्ररूप 5-ख या प्ररूप 10-क में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.
3. उक्त नियमों के नियम 8 या 21 के उपबंध, यथास्थिति, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच (13), दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A 3-15-2011-1-V (13).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4-B) of rule 8 and sub-rule (2) of rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods; which start on or after 1st April, 2013,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees one crore, electronically in Form 10, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is up to rupees one crore, electronically in Form 5 or Form 10, as the case may be, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;

2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form 5-B or Form 10-A, as the case may be.

3. The provisions of rule 8 or 21 of the said rules, as the case may be, shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (14).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए मोटर यान अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच (14), दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A 3-15-2011-1-V (14).—In exercise of the powers conferred by first proviso to clause (a) of sub-section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies motor vehicles for the purpose of said proviso.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (15).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 6 तथा 48 में यथा विनिर्दिष्ट फैब्रिक्स अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच (15), दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A 3-15-2011-1-V (15).—In exercise of the powers conferred by second proviso to clause (a) of sub-section 1 of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies fabrics as specified in entry numbers 6 and 48 of Schedule-I to the Act, for the purpose of said proviso.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (16).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 26-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये महुआ बीज को, जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् क्रय किया गया हो, अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(16) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (16).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies mahua seed, which is purchased on or after 1st April, 2013, for the purpose of said sub-section.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (17).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 14 की उपधारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के अधीन आगत कर रिबेट के प्रयोजन के लिये सरसो खली को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(17) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (17).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies mustard oil cake, for the purpose of input tax rebate under the said sub-section.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (18).—मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के नियम 23-क के साथ पठित मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 7-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती हैं,—

- (एक) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी प्ररूप 5 में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;
2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 5-ख में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.
3. उक्त नियमों के नियम 7-क के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(18) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (18).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 7-A of the Madhya Pradesh Sales tax (Central) Rules, 1957 read with the rule 23-A of the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2013,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees one crore, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees one crore, electronically in Form V, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.
2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form V-B.
3. The provisions of rule 7-A of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (19).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 के नियम 8-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि ऐसी कालावधियों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होती हैं,—

- (एक) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है, कोई विवरणी प्ररूप-सात में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गये अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी;
- (दो) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जिसकी कुल वार्षिक राशि (टर्न ओवर) 1 करोड़ रुपये तक है, कोई विवरणी प्ररूप-सात में, इलेक्ट्रॉनिक रीति में, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना, विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी;
2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, प्ररूप 7-ड में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा.
3. उक्त नियमों के नियम 8 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसी विवरणी को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(19) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (19).—In exercise of the powers conferred by rule 8-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, the State Government, hereby, provides that a return pertaining to the periods, which start on or after 1st April, 2013,—

- (i) shall be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is more than rupees one crore, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (ii) may be furnished by a registered dealer, whose annual turnover is upto rupees one crore, electronically in Form VII, without digital signature, through the official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal.
2. After furnishing the return electronically, the registered dealer shall submit verification of the return in Form VII-E.
3. This provisions of rule 8 of the said rules shall mutatis mutandis apply to such return.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (20).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-2 के भाग-तीन की प्रविष्टि 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-28-2009-1-पांच (20) दिनांक 3 मार्च, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "पुराने या सेकण्ड हैंड मोटर यान" विनिर्दिष्ट करती है जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा बेचे गए हों और जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत हों.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(20) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (20).—In exercise of the powers conferred by entry 4 of Part-III of Schedule II of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in supersession of this department's notification No. F-A-3-28-2009-1-V (20), dated 3rd March, 2009, the State Government, hereby specifies "old or second hand motor vehicle" which is sold by a dealer registered under the Act and which is registered in the State of Madhya Pradesh under the Motor vehicles Act, 1988, for the purpose of said entry.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच (21).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए धान को, जिसका क्रय 1 अप्रैल, 2013 को या उसके पश्चात् किया गया हो, अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-15-2011-1-पांच(21) दिनांक 30 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. यू. खान, अपर सचिव.

---

Bhopal, the 30th March 2013

No. F-A-3-15-2011-1-V (21).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) the State Government, hereby, notifies paddy which is purchased on or after 1st April, 2013, for the purpose of the said sub-section.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
H. U. KHAN, Addl. Secy.